

## अध्याय-1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों का पुनर्भरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 33000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013-14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया गया तथा सत्र 2013-14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया।

सत्र 2014-15 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों यथा एक विद्यालय में दो एन्ट्री कक्षा, एक विद्यालय के दो माध्यमों में पृथक-पृथक प्रवेश की व्यवस्था, विद्यालय द्वारा आयु पॉलिसी का चुनाव व राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत ऑन लॉइन लॉटरी द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03-02-2014 को दिशा निर्देश जारी किए गए तथा दिशा निर्देशों के अनुसार आरटीई वेब पोर्टल पर व्यवस्था की गयी। समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभार तो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। सत्र 2014-15 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन व पुनर्भरण में अनुभव की गयी कुछ समस्याओं व आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सत्र 2015-16 के लिए आंशिक संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये दिशा-निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता-पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये हैं। (संलग्न परिशिष्ट-1) यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/ नियम /अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

## अध्याय-2 : प्रवेश प्रक्रिया

1. **एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश** – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “कमजोर वर्ग” एवं “अलाभप्रद समूह” के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एन्ट्री लेवल कक्षा के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम आदेश क्रमांक:प 21(19)प्राशि/आयो/2009 जयपुर, दिनांक 17.1.2014 के आधार पर कार्यवाही करनी होगी। जिसके अनुसार “ जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ-साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक-पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा”। (संलग्न परिशिष्ट-2)

(स्पष्टीकरण: दो एन्ट्री कक्षा में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश केवल उन्हीं विद्यालयों को देना है जिन विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में सीटों की संख्या कम है तथा कक्षा-1 में सीटों की संख्या अधिक है, जैसे किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु नर्सरी में 50 सीटें हैं तथा कक्षा-1 में 100 सीटें हैं। इस विद्यालय में 50 बालक क्रमोन्नत होकर कक्षा-1 में आते हैं तथा कक्षा-1 की शेष 50 सीटों पर बालकों को सीधे प्रवेश दिया जाता है। ऐसे विद्यालय को नर्सरी की 50 सीटों व कक्षा-1 की सीधे प्रवेश वाली 50 सीटों में से दोनों कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने होंगे। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा व कक्षा-1 में सीटों की संख्या लगभग समान रहती है, ऐसे विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश केवल पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा में ही होगा। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ अर्थात् कक्षा-1 से पहले की कक्षाएँ एक से अधिक हैं उनमें सबसे छोटी कक्षा ही निःशुल्क प्रवेश हेतु पूर्व प्राथमिक एन्ट्री कक्षा होगी।)

2. **प्रवेश के लिए पात्रता** – आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

### 2.1 बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैंचमेंट एरिया) में निवास करने

वाला होना चाहिए:- राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैंचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

### 2.2 बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए :-

2.2.1 **दुर्बल वर्ग**— राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- (a) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।
- (b) ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

**2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह**— राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

- अनुसूचित जाति के बालक
- अनुसूचित जन जाति के बालक
- अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- निःशक्त बालक जो कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

**2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:**— एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

**2.3.1 प्रथम विकल्प:** — आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार —

अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगी:—

क्र. सं.	विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-1 से पहले)	एन्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1.	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2.	दो वर्षीय	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3.	एक वर्षीय	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

**2.3.2 द्वितीय विकल्प:**— विद्यालय जिस बोर्ड से सम्बद्ध है, उस बोर्ड द्वारा एन्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75% गैर आरटीई सीटों पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (Age Policy) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया है तो 25% निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एन्ट्री कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेगा तथा किसी भी एन्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एन्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी।

**नोट —**

- उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये हैं वे विद्यालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु की गणना अप्रैल सत्र से प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों में 1 अप्रैल तथा मई अथवा राजकीय विद्यालयों के साथ सत्रारम्भ करने वाले विद्यालयों में 1 मई के आधार पर की जाएगी।

**2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:**— बालक के निवास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सम्बन्धित शहरी नगर निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) द्वारा बालक/अभिभावक के लिए जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/झाड़विंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल मान्य होंगे।

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र:- “दुर्बल वर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेज:- राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के अनुसार प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा।

### 3 प्रवेश का टाईम फ्रेम :-

राज्य में गैर सरकारी विद्यालय सामान्यतया सत्र प्रारम्भ करने की दृष्टि से दो प्रकार के हैं। कुछ विद्यालयों का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तथा कुछ विद्यालयों का सत्र राजकीय विद्यालयों की तरह 1 मई से 30 अप्रैल तक है। आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश कार्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	विवरण/गतिविधि	1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए	1 मई या राजकीय विद्यालयों के साथ सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	15 फरवरी तक	15 मार्च तक	राज्य सरकार व संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	19 मार्च तक	20 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	20 मार्च तक	21 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की विद्यालयों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रविष्टि करना	25 मार्च तक	27 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	25 मार्च तक	27 अप्रैल तक	संबंधित अभिभावक
6	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	27 मार्च	29 अप्रैल	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
7	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	8 अप्रैल तक	7 मई तक	संबंधित अभिभावक
8	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	9 अप्रैल से	8 मई से	संबंधित निजी विद्यालय
9	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

**नोट:**

1. क.सं. 1 पर अंकित गतिविधि “विज्ञापन जारी करना” के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साइट/स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड,सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके ।
  2. संबंधित विद्यालय/अधिकारी को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
  3. अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन कर सकेगी।
- 4. आवेदन की प्रक्रिया :-**अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन के लिए ऑफ लाइन या ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुन सकते हैं लेकिन किसी एक ही विद्यालय में प्रवेश हेतु केवल एक विकल्प का चुनाव करना है।
- 4.1 विद्यालय में ऑफ लाइन आवेदन की प्रक्रिया :**
- 4.1.1. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (**संलग्नक परिशिष्ट-3**) में करना होगा। कोई भी बालक या उसका अभिभावक इस आवेदन पत्र को जिस विद्यालय में वह प्रवेश लेना चाहता है, उस विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित तिथियों में विद्यालय समय में निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। यदि अभिभावक चाहे तो आरटीई पोर्टल ([rte.raj.nic.in](http://rte.raj.nic.in)) से भी आवेदन पत्र डाउन लोड कर सकता है।
  - 4.1.2. भरे हुये आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज जैसे-जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची,निवास संबंधी प्रमाण पत्र आदि जो आवेदक विशेष के प्रकरण में लागू हों, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हों, संलग्न कर विद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवा दें तथा आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद विद्यालय से प्राप्त कर लें।
  - 4.1.3. केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा वरीयता क्रमांक निर्धारण के बाद अधिकतम 7 कार्य दिवसों में प्रवेश हेतु इच्छित विद्यालय में अभिभावक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र (**संलग्नक-4**) में रिपोर्ट करना है। सात दिवस तक विद्यालय में रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बालक प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
- 4.2 विद्यालय में ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया :**
- 4.2.1 कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन आवेदन भी कर सकता है।
  - 4.2.2 सर्व प्रथम अभिभावक को आरटीई वेब पोर्टल [rte.raj.nic.in](http://rte.raj.nic.in) को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेब पोर्टल पर प्रविष्ट करनी होगी। ऑन लाइन आवेदन के लिए मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है।
  - 4.2.3 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचनाएँ प्रविष्ट करनी है।
  - 4.2.4 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएँ प्रविष्ट कर प्रवेश हेतु अपने परिक्षेत्र(केचमेण्ट एरिया) के एक से अधिक विद्यालयों (अधिकतम 10 विद्यालयों) का चयन कर सकता है।
  - 4.2.5 ऑन लाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट आउट लेना है तथा ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद प्रिंट आउट के साथ प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर लॉटरी दिनांक से अधिकतम 7 कार्य दिवसों में प्रवेश हेतु इच्छित विद्यालय में अभिभावक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र (**संलग्नक-4**) में रिपोर्ट करना है। विद्यालय में सात दिवस तक रिपोर्ट नही करने की स्थिति में बालक प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

- 4.3 वरीयता सूची निर्धारण हेतु निकाली गयी केन्द्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी में ऑफ लाइन व ऑन लाइन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इस सूची के आधार पर ही वरीयता से विद्यालय बालकों को प्रवेश देगा। विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर वरीयता सूची के सभी बालकों का विद्यालयों में प्रवेश हो यह आवश्यक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।
- 4.4 निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बालक प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
5. आवेदन पत्रों की जाँच : प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है :-
- 5.1 "दुर्बलवर्ग" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
- 5.1.1 अभिभावक का बीपीएल कार्ड  
अथवा  
अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जिसमें अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
- 5.1.2 अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 5.1.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज/शपथ पत्र
- 5.2 "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
- 5.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र  
अथवा  
बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र  
अथवा  
बालक/अभिभावक का अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, उन अभिभावकों के लिए जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।  
अथवा  
बालक/अभिभावक का विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, उन अभिभावकों के लिए जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।  
अथवा  
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
- 5.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 5.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज/शपथ पत्र।
- 5.3 आवेदन पत्रों (ऑफ लाइन अथवा ऑन लाइन) के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
- 5.4 यदि अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर निजी विद्यालय द्वारा बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे प्रवेशित बालकों के संबंध में उस विद्यालय को पुर्नभरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय उन बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

6. वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री : विद्यालयों में ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात सही पाये गये आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री की जायेगी। संबंधित विद्यालय इस डेटा एन्ट्री में विशेष सावधानी रखेंगे। बालकों/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करेंगे। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है, जिसका दायित्व संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का ही होगा।

7. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :-

- 7.1 ऑफ लाइन तथा ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से स्वतः ही निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा।
- 7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीटों पर ऑन लाईन व ऑफ लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।
- 7.3 इस सूची का उपयोग शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। वास्तविक चयन के लिए रोस्टर के आधार पर तैयार की गई सूची ही मान्य होगी। इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।
- 7.4 इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रवेशित बालकों (शेष 75 प्रतिशत बालकों सहित) की सूची की विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी।

8. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :-

सॉफ्टवेयर द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों की वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :-

1.निःशुल्क प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	21.निःशुल्क प्रवेश	31.सामान्य प्रवेश
2.सामान्य प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	13.निःशुल्क प्रवेश	23.सामान्य प्रवेश	33.निःशुल्क प्रवेश
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	25. निःशुल्क प्रवेश	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	17.निःशुल्क प्रवेश	27.सामान्य प्रवेश	37.निःशुल्क प्रवेश
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	29.निःशुल्क प्रवेश	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश- 10

सामान्य प्रवेश - 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
- प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण परिशिष्ट- 4 पर सलंगन है।

9. प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग :

निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. प्रथम/द्वितीय) द्वारा की जाएगी।

## अध्याय-3 : भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

### 10. गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया :-

#### 10.1 सत्यापन दलों का गठन :

- 10.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
- 10.1.2 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 5-8 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृत्ति नहीं हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जाये।
- 10.1.3 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./लिपिक वर्ग/अध्यापक होगा।
- 10.1.4 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेगें तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जायेगा।
- 10.1.5 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षक सत्यापन दलों में लगाये जाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

#### 10.2 विशेष सत्यापन दलों का गठन:-

- 10.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा अपने अधीन विद्यालयों के सम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष दलों का गठन करेंगे।
- 10.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का सत्यापन करेंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
- 10.2.3 मूल भौतिक सत्यापन दल द्वारा तैयार की गई सत्यापन रिपोर्ट में विशेष सत्यापन दल द्वारा कोई विसंगति पाई जाती है तो विशेष सत्यापन के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएँगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएँगे। विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।

#### 10.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों को सत्यापन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य आदेश/निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

#### 10.4 बीईईओ/डीईओ(मा.शि.) द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

बीईईओ/डीईओ (मा.शि.) अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दलों को संबंधित विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित बालकों की सूची (जो आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है), निरीक्षण प्रपत्र की दो-दो प्रतियां तथा सत्यापन संबंधित निर्देशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायेगें।

#### 10.5 सत्यापन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- 10.5.1 सत्यापन दलों द्वारा इन सूचियों के आधार पर विद्यालय में उपस्थित होकर बालकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों की सूची मय अनुशंषा निरीक्षण प्रपत्र में भरेंगे।
- 10.5.2 जिन बालकों के प्रवेश पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें, उनकी भी सूची मय कारण निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे। यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी।
- 10.5.3 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जाँच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा कैशबुक, रसीदबुक, फीस संधारण रजिस्टर का निरीक्षण करेंगें। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर फीस की पुष्टि कर ली जावे।
- 10.5.4 सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जाँच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे।
- 10.5.5 गत वर्षों में विद्यालय को किन्हीं कारणों से हुए अधिक भुगतान तथा विद्यालय को निःशुल्क/रियायती दरों पर आंवटित भूमि/भवन/उपस्कर आदि के आदेश में अंकित बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि जिसका पुनर्भरण प्राप्त करने का विद्यालय हकदार नहीं है, के समायोजन की राशि का आकलन कर उक्त राशि के समायोजन की भी स्पष्ट अनुशंषा करेंगे।
- 10.5.6 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी ओर न ही सत्यापन प्रपत्र के साथ संलग्न की जाएंगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जा सकती है।

- 10.5.7 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा.शि.) कार्यालय में जमा करवाई जाएगी।
- 10.5.8 सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सत्यापन रिपोर्ट गैर सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई के वेब पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड की जाएगी।
- 10.5.9 संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा सत्यापन दल से प्राप्त प्रतिवेदन का मिलान कर पोर्टल पर सही पाया गया/सही नहीं पाया गया का चयन किया जाएगा।
- 10.5.10 कार्यालय स्तर पर सही पाया गया का चयन करने की स्थिति में विद्यालय अपना ऑन लाईन क्लेम बिल निर्धारित प्रपत्र में जनरेट कर सकेगा परन्तु कार्यालय स्तर पर सही नहीं पाया गया का चयन करने की स्थिति में रिपोर्ट पुनः स्कूल लॉगिन में दिखने लगेगी जिसे विद्यालय द्वारा पुनः ठीक किया जाएगा और कार्यालय स्तर पर उसे पुनः मिलान कर सही पाया गया का चयन किया जाएगा तभी विद्यालय अपना क्लेम बिल पोर्टल पर जनरेट कर सकेगा।

#### 10.5.11 भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम:

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	31 जुलाई तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	01.08.2015 से 31.08.2015 तक
3	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	01.08.2015 से 07.09.2015 तक
4	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	01.08.2015 से 15.09.2015 तक

- नोट: 1. उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा राज्य सरकार द्वारा यथासमय वांछित निर्देश दिये जा सकेंगे।
2. विद्यालयों व कार्यालयों द्वारा अनिवार्यतः उपर्युक्त टाइम फ्रेम के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किया जाना है।

## अध्याय-4 : पुनर्भरण प्रक्रिया

### 11. पुनर्भरण प्रक्रिया :

- 11.1 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र (Claim Bill) बिल जनरेट किया जाएगा तथा इस पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मयसील होंगे। इस बिल की दो हार्ड कापी संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय में रजिस्टर्ड एडी डाक से प्रेषित करनी होंगी। आरटीई वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड डाक प्रेषण की दिनांक व क्रमांक फीड किये जाएंगे। संबंधित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) कार्यालय इस प्रकार रजिस्टर्ड AD डाक से प्राप्त क्लेम बिल का एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करेंगे।
- 11.2 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त है तो ऐसे निःशुल्क/रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त के अध्याधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्ध मांग की जायेगी।
- 11.3 बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त दावा प्रपत्र (Claim bill) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बना कर ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालयों के खातों में ऑनलाइन पुनर्भरण किया जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
- 11.4 **उपयोगिता प्रमाण पत्र :-** प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाएगा।
- 11.5 **विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण हेतु टाइम फ्रेम:**

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
1	विद्यालयों द्वारा दावा प्रपत्र (Claim bill) निकाल कर कार्यालयों में प्रेषित करना।	01.08.2015 से 21.09.2015 तक	01.04.2016 से 23.05.2016 तक
2	कार्यालयों द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्रों (Claim bills) के आधार पर भुगतान स्वीकृति आदेश (Pass order) बनाकर ट्रेजरी भिजवाना।	07.08.2015 से 30.09.2015 तक	09.04.2016 से 31.05.2016 तक
3	निःशुल्क सीटों पर प्रवेश देने वाले सभी पात्र विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण सुनिश्चित करना।	15.10.2015 तक	16.06.2016 तक
4	सम्बन्धित निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना।	30.10.2015 तक	30.06.2016 तक

- नोट: 1. पुनर्भरण हेतु उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यकता होने पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा समय वांछित संशोधन किया जा सकता है।
2. विद्यालयों व कार्यालयों द्वारा अनिवार्यतः उपर्युक्त टाइम फ्रेम के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किया जाना है।

**परिशिष्ट – 1 (संदर्भित अध्याय-1)**  
**आदेश/परिपत्रों का सांराश**

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेश:** – विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि.12.9.2011 को जारी किये गये।
- **अनाथ आश्रम में रहने वाले बालकों का प्रवेश:** – राज्य सरकार द्वारा आश्रम केयर/अनाथ आश्रम में निवास कर रहे बालकों के लिए अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रवेश के लिये प्रमाण पत्रों की उपलब्धता हेतु सरलीकृत व्यवस्था दी है, साथ ही यदि ऐसे बालकों का प्रवेश निजी विद्यालय की 25 प्रतिशत सीटों पर सामान्य लॉटरी प्रक्रिया से नहीं होता है तो इन बालकों को सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से अलग हटकर अतिरिक्त सीटों का आवंटन मानते हुए विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा (आदेश दि.4.6.2012)।
- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना :-** 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे हैं तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।
- **25 प्रतिशत सीटों पर लिये गये प्रवेश का सत्यापन :-** 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का कार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संपन्न किया जाएगा। (परिपत्र दि.19.10.2012)
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा प्रथम अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा चाहे वह किसी भी नाम से संचालित हो, मान्य होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थिति में बालक की न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होगी। कुछ विद्यालय प्ले ग्रुप भी संचालित कर रहे हैं लेकिन प्ले ग्रुप निःशुल्क प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में :-** यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना :-** निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 2.5 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा। (परिपत्र दि.19.10.2012 एवं दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)
- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में:-** राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

## परिशिष्ट-2 (संदर्भित पैरा 1)

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना) अनुभाग

क्रमांक: प.21(19)प्रा.शि./आयो./2009

जयपुर, दिनांक: 17.1.2014

समस्त जिला कलक्टरस,  
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,  
समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

**विषय:** इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के स्पष्टीकरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.04.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों को कक्षा 1 में प्रवेश देने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना बाध्यकारी होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित करता है तो पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु भी कम से कम 25% सीट्स पर कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा 1 में समानान्तर रूप से सीधे प्रवेश देते हे। अतः ऐसे विद्यालयों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है।

“जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ-साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा-1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक-पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा”।

(खेमराज)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करने के क्रम में।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रारम्भिक शिक्षा/प्रथम/तृतीय/शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव


परिशिष्ट – 3 (संदर्भित पेरा-4.1.1)

प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र  
(भाग-अ)



1. प्रवेशार्थी की सूचना:-

- 1.1 प्रवेश हेतु कक्षा .....
- 1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....
- 1.3 लिंग .....
- 1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 1.5 जन्म तिथि (अंको में) ...../...../..... (शब्दों में).....
- 1.6 जाति वर्ग (SC/ST/OBC/SBC/GEN) .....
- 1.7 प्रवेशार्थी का धर्म .....
- 1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी में आता है ? .....

2. प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धित सूचना:-

- 2.1 पिता का नाम..... 2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो)..... 2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....
- 2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ? .....
- 2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रुपये में)- .....
- 2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):-

ग्राम का नाम/वार्ड नं..... पिन कोड 

--	--	--	--	--	--	--	--

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम .....

ब्लॉक ..... जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबन्धित बॉक्स में ✓ करें):-

- 4.1 दुर्बल वर्ग
- 4.1.1 बीपीएल  बीपीएल कर्मांक.....
- 4.1.2 अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है।
- 4.2 असुविधाग्रस्त समूह
- 4.2.1 अनुसूचित जाति
- 4.2.2 अनुसूचित जनजाति
- 4.2.3 अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है।
- 4.2.4 विशिष्ट पिछड़ा वर्ग जिसमें अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है।
- 4.2.5 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है।
- विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....
- 4.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है।

नोट :-1. अभिभावक को एक विद्यालय में केवल एक ही बार (ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन) आवेदन करना है। एक ही विद्यालय में एक बालक का एक बार से अधिक आवेदन करने के कारण यदि केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा तैयार वरीयता सूची में एक बालक का नाम एक से अधिक स्थानों पर आता है तो बालक का प्रवेश वरीयता सूची के सबसे नीचे के वरीयता क्रम के आधार पर होगा।

2 जाति, निवास स्थान, वार्षिक आय, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(भाग-ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी, व स्वयं के संबंध में दी गई समस्त सूचनाएँ सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : .....

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

(भाग-स)

(विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद)

प्रवेशार्थी का नाम ..... प्रवेश हेतु कक्षा.....

पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति..... का आवेदन पत्र मय संलग्न आवश्यक दस्तावेज विद्यालय में प्राप्त हो गया है। विद्यालय द्वारा इसे आरटीई वेब पोर्टल पर प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति दिनांक : .....

हस्ताक्षर

(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

परिशिष्ट – 4 (संदर्भित पैरा- 4.2.6)

“दुर्बलवर्ग” / “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों का आरटीई एक्ट के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु

रिपोर्टिंग प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम : .....
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):.....
3. प्रवेशार्थी का नाम :..... पुत्र/पुत्री.....
4. प्रवेश हेतु कक्षा :.....5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांक:...../...../..... 6. वरीयता क्रमांक: .....
7. आवेदन का प्रकार (संबंधित बॉक्स में ✓ करें):- ऑफ लाइन  ऑन लाइन
8. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांक:..... को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):-
  - बालक का आयु प्रमाण पत्र  -अभिभावक का आयु प्रमाण पत्र
  - अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र  -बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
  - अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र  -बालक का PH संबंधित प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर/अगूठे का निशान  
अभिभावक

हस्ताक्षर  
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

“दुर्बलवर्ग” / “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों का आरटीई एक्ट के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु

रिपोर्टिंग प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम : .....
2. विद्यालय का पता (मय वार्ड नं. व ब्लॉक):.....
3. प्रवेशार्थी का नाम :..... पुत्र/पुत्री.....
4. प्रवेश हेतु कक्षा :.....5. ऑनलाइन लॉटरी दिनांक:...../...../..... 6. वरीयता क्रमांक: .....
7. आवेदन का प्रकार (संबंधित बॉक्स में ✓ करें):- ऑफ लाइन  ऑन लाइन
8. प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र मय निम्नांकित दस्तावेजों के आज दिनांक:..... को विद्यालय को प्राप्त हो गया है। विद्यालय में बालक के प्रवेश सुनिश्चित होने पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को सूचित कर दिया जाएगा तथा सूचना प्राप्ति के अगले तीन कार्य दिवसों में अभिभावक को बालक का प्रवेश विद्यालय में कराना होगा। प्राप्त दस्तावेजों की सूची (सही के आगे ✓ करें):-
  - बालक का आयु प्रमाण पत्र  -अभिभावक का आयु प्रमाण पत्र
  - अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र  -बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
  - अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र  -बालक का PH संबंधित प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर/अगूठे का निशान  
अभिभावक

हस्ताक्षर  
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक मय सील)

## परिशिष्ट – 5 (संदर्भित पैरा-8)

### प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

**उदाहरण- 1 :** एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :-

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीटों की संख्या- 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीटों की संख्या- 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र- 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन- 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन- 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी-50 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है, उस गांव के 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैंडम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव व ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैंडम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता उस वार्ड के बालकों को मिलेगी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है।

**उदाहरण- 2 :** एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड हैं, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :-

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीटों की संख्या- 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीटों की संख्या- 15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र- 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन- 10
5. शहरी निकाय के अन्य समस्त 44 वार्डों से प्राप्त आवेदन- 70

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त सभी-80 आवेदन पत्र शामिल किये जाएंगे, लेकिन विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड संख्या-17 के 10 आवेदनों को सर्वप्रथम रैंडम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा शहरी निकाय के शेष 44 वार्डों से प्राप्त 70 आवेदनों को रैंडम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित वार्ड के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

यही उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता उस गांव के बालकों को मिलेगी, जिस गांव में विद्यालय स्थित है।

**नोट:** विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

## परिशिष्ट – 6

### सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

**प्रश्न – 1** यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

**उत्तर –** गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

**प्रश्न – 2** न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के निःशुल्क प्रवेश के पुनर्भरण हेतु क्या सावधानी बरतनी आवश्यक है ?

**उत्तर –** सत्यापन दलों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र देखकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बालक चालू सत्र में न्यून आय वर्ग में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु पात्र है। यदि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो गई है तो बालक विद्यालय में तो अध्ययनरत रहेगा लेकिन उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों के नाम सत्यापन दल अपने प्रतिवेदन में पुनर्भरण हेतु सूची में सम्मिलित नहीं करेंगे।

**प्रश्न – 3** निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

**उत्तर –** बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार चॅक्क अथवा अन्य राजकीय उपकर्म/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

**प्रश्न – 4** यदि किसी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ 3 वर्ष की है, तो उसे वेब पोर्टल पर एन्ट्री लेवल कक्षा कौनसी भरनी है ?

**उत्तर –** जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से पूर्व) 3 वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर च्च3 कक्षा में फीडिंग करनी है, जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ दो वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर च्च4 में फीडिंग करनी है तथा जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक वर्ष की हैं, उन्हें च्च5 में फीडिंग करनी है।

**प्रश्न – 5** यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?

**उत्तर –** ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीटों पर "दुर्बलवर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है। लेकिन इन विद्यालयों को पुनर्भरण देय नहीं होगा।

**प्रश्न – 6** यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

**उत्तर –** राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

**प्रश्न – 7** यदि किसी विद्यालय, बीईईओ कार्यालय, डीईओ (मा.शि.) व डीईओ (प्रा.शि.) का पासवर्ड इनवैलिड हो जाता है तो वह कैसे रिसेट हो सकता है ?

उत्तर – प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बीईईओ से तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) से पासवर्ड रिसेट करवा सकते है। बीईईओ के पासवर्ड जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) से रिसेट हो सकते है तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि./माशि.) अपने पासवर्ड निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा से रिसेट करवा सकते है।

**प्रश्न – 8** यदि किसी विद्यालय का नाम, पता, या स्तर वेब पोर्टल पर गलत दर्ज है, तो उसे कैसे सही कराया जा सकता है ?

उत्तर – इस प्रकार के समस्त संशोधनों के लिए विद्यालय को लिखित में प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को देना होगा । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) अपने लॉगइन से इन संशोधनों को सही कर सकते है।

-----

